प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

मण्डलीय, संयुक्त शिक्षा निदेशक,
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–शिविर/ 15310-15404 /2018–19 दिनांक 28 अगस्त, 2018

विषयः–शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू/सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद वस्तुओं से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांकः– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1534/ लखनऊ दिनांक 20.07.2018 तथा उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, लखनऊ के पत्र दिनांक 18.07.2018 की संलग्नक सहित संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में सूच्य है कि शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद वस्तुओं से मुक्त रखे जाने हेतु सी0ओ0टी0पी0ए0 2003 (कोटपा) के प्रावधानों का अनुपालन किये जाने एवं रिपोर्टिंग करने तथा युवाओं और बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की शुरुआत और उपभोग करने से बचाने हेतु प्रश्नगत अधिनियम 2003, की धारा– 4 एवं 6 में निम्नवत् प्रावधान हैः–

धारा 4:– सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। विद्यालय भी एक सार्वजनिक स्थान है। विद्यालय में तम्बाकू/धूम्रपान निषेध क्षेत्र का सूचना–पट लगाया जाना अनिवार्य है।

यह साइनेज शिक्षण संस्था के परिसर के अन्दर प्रमुखता से लगा होः–

तम्बाकू धूम्रपान निषेध क्षेत्र

यहाँ धूम्रपान तम्बाकू का उपयोग करना एक अपराध है।
उल्लंघन करने पर 200 रूपए तक जुर्माना किया जायेगा।
अगर आपको कोई भी व्यक्ति इस परिसर में तम्बाकू का उपयोग या धूम्रपान करते दिखाई देता है तो कृपया निम्नलिखित अधिकारी को शिकायत करें।

श्री श्रीमती ----------
पदनाम----------
मोबाइल नंबर ----------

धारा 6 (b):– शिक्षा संस्थाओं के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। प्रत्येक विद्यालय के मुख्य द्वार पर 60.30 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा आकारक साइनेज (बोर्ड) लगाना अनिवार्य है। जिस पर लिखा होः–

तम्बाकू वर्जित क्षेत्र में आपका स्वागत है।

चेतावनी

1. "तम्बाकू धूम्रपान वर्जित क्षेत्र" यहाँ धूम्रपान या किसी तरह के तम्बाकू का प्रयोग करना सख्त मना है। यह एक दंडनीय अपराध है।
2. इस शिक्षण संस्थान के 100 गज की परिधि में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दंडनीय अपराध है।
3. यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर 1 लाख रूपए तक का जुर्माना या 6

Tobacco Contro

महीने की सजा हो सकती है।

4. अगर कोई यहाँ धूम्रपान या तम्बाकू का उपयोग कर रहा है तो इनसे शिकायत करें।

नाम ----------

पदनाम----------

फोन नंबर ----------

अतः प्रश्नगत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों को कियान्वित किये जाने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 20.07.2018 तथा उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, लखनऊ के पत्र दिनांक 18.07.2018 में की गई अपेक्षानुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को तथा शिविर कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

24.8.2018

(साहब सिंह निरंजन)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0:शिविर/ /2018–19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (ई–मेल nodal.ntcp.up@gmail.com)
2. उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, 5/459, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

(साहब सिंह निरंजन)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

महीने की सजा हो सकती है।

4. अगर कोई यहाँ धूम्रपान या तम्बाकू का उपयोग कर रहा है तो इनसे शिकायत करें।

नाम ----------

पदनाम----------

फोन नंबर ----------

अतः प्रश्नगत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों को कियान्वित किये जाने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 20.07.2018 तथा उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, लखनऊ के पत्र दिनांक 18.07.2018 में की गई अपेक्षानुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को तथा शिविर कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

(साहब सिंह निरंजन)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0:शिविर/15310-15404 /2018–19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (ई–मेल nodal.ntcp.up@gmail.com)
2. उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, 5/459, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

8/2018

(साहब सिंह निरंजन)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

ई–मेल

सेवा में,

1–निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
2–पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
3–अपर आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0।
4–निदेशक, उच्चतर शिक्षा, उ0प्र0।
5–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0।
6–निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
7–निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
8–निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
9–राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
10–उपायुक्त, श्रम विभाग, उ0प्र0।
11–उपायुक्त, वाणिज्य एवं कर विभाग, उत्तर प्रदेश।
12–पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
13–महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0।
14–जिला अधिकारी, लखनऊ।
15–भारतीय रेल विभाग का प्रतिनिधि, उ0प्र0।
16–निदेशक, न्याय विभाग, उ0प्र0।
17–निदेशक, खेल, हजरगंज, लखनऊ।
18–निदेशक, परिवहन विभाग, उ0प्र0।
19–निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
20–विभागाध्यक्ष, कम्यूनिटी डेन्स्ट्रिटी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
21–विभागाध्यक्ष, आन्कोलाजी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
22–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पारिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
23–निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0।
24–विभागाध्यक्ष, रेस्पेरेट्री मेडिसिन, के0जी0एम0यू0, लखनऊ, प्रो0 (डा0)सूर्यकान्त
25–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
26–वी0एच0ए0आई0, स्वयं सेवी संस्था, नई–दिल्ली।
27–द यूनियन, स्वयं सेवी संस्था, नई–दिल्ली।
28–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उत्तर प्रदेश।
29–निदेशक, सूपर–स्पेशियलिटि कैंसर संस्थान, लखनऊ।
30–समन्वयक, एन0एस0एस0, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, डा0 राकेश द्विवेदी
31–निदेशक, टूरिज्म एवं पर्यटन विभाग, उ0प्र0।
32–यू0पी0वी0एच0ए0, स्वयं सेवी संस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
33–विभागाध्यक्ष, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
34–ए0डी0जे0, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उत्तर प्रदेश।
35–लीगल एक्सपर्ट, तम्बाकू नियंत्रण, नई दिल्ली, श्री रंजीत सिंह
36–एम0डी0, मेडिसिन, बाराबंकी, डा0 आनन्द त्रिपाठी,

पत्रांकः– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1534 लखनऊ दिनांक – 20/07/2018

विषय– प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन हेतु दिनांक 05.07.2018 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दिनाक 05.07.2018 को सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने सम्बन्धी बैठक आयोजित की गयी थी।

उक्त बैठक का कार्यवृत्त आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों/लिये गये निर्णयों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें/सम्बन्धित को निर्देशित करें एवं उक्त कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या भी अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)

State Tobacco Control Cell, Swasthya Bhawan, Lucknow. U.P.
Fax No-0522-2623980,E-Mail-*nodal.ntcp.up@gmail.com, facebook/STCC.UP*

पृष्ठांकन संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण तद्दिनांक–

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर ... कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :–(ई–मेल के माध्यम से)

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य ... ल्याण, उ०प्र० शासन।

2– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार ... , चिकित्सा अनुभाग–7, उ०प्र० शासन।

3– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।

4– उपमहाप्रबंधक, असंचारी रोग नियंत्रण प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।

5– समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रभावी संचालन हेतु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05.07.2018 को स्टेक होल्डर के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त :–

बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी अधिकारियों की सूची संलग्न है।

परिचयोपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई।

बैठक प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम डा0 आलोक कुमार, संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा पॉवर प्वाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में चलाये जा रहे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अद्यतन स्थिति, विषमताओं एवं उनके निवारण हेतु सुझाव रखे गये।

राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 द्वारा चलाये गये ''येलो लाइन'' कैम्पेन का विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर संज्ञान लिये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा कुम्भ मेला, 2019 में प्रचार–प्रसार के माध्यम से गतिविधियों को चलाये जाने एवं जनमानस को जागरूक करने एवं ''येलो लाइन'' कैम्पेन चलाये जाने के साथ ही साथ प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य इकाईयों में प्रदेश व्यापी ''येलो लाइन'' कैम्पेन चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सीमा गुप्ता, निदेशक, वी0एच0ए0आई0 (स्वयं सेवी संस्था) द्वारा प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला गया, जिसमें उनके द्वारा राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को कियें जा रहे सहयोग के बारे मे बताया गया कि राज्य तम्बाकू प्रकोष्ठ द्वारा तम्बाकू नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासों जैसे जनपदों के एन0टी0सी0पी0 कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण में सहयोग, सभी स्वास्थ्य इकाईयों को तम्बाकू मुक्त बनाने में सहयोग, उत्तर प्रदेश ग्लोबल एडल्ट टोबैको रिपोर्ट का प्रसारण किये जाने में सहयोग किया गया।

सीमा गुप्ता, निदेशक, वी0एच0ए0आई0 (स्वयं सेवी संस्था) द्वारा प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाहियों एवं रिपोर्टिंग हेतु सघन समीक्षा किये जाने की जरूरत बताई गई। उक्त के अतिरिक्त होटल रेस्टोरेंट, पब एवं बार में अधिकृत धूम्रपान क्षेत्र के अनुपालन हेतु एवं प्रदेश में ई–सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की बात पर जोर दिया गया, जिस पर अपेक्षा की गयी कि तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रभावी क्रियान्वयन में पुलिस विभाग द्वारा राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की यथासम्भव प्रयास/सहायता की जाय।

श्री विवेक अवस्थी, डायरेक्टर, यू0पी0वी0एच0ए0 (स्वयं सेवी संस्था) द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रभावी क्रियान्वयन में वेन्डर लाइसेंसिंग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0 के अनुच्छेद–5.3 को लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी, उनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश में वेन्डर लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू नही होने के कारण जनपदों में यत्र तत्र दुकानें खोली जा रही है, जिसमें खाद्य पदार्थों के साथ ही साथ तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की जा रही

है। यहां तक कि नाबालिग बच्चों के द्वारा उस तरह की दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने श्री अरूण झा, आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रेषित पत्र में भी प्रदेश में वेन्डर लाइसेंसिंग लागू किये जाने की अपेक्षा की है।

श्री अवस्थी द्वारा बताया गया कि यदि प्रदेश में वेन्डर लाइसेंसिंग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0 अनुच्छेद–5.3 को लागू करने से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने में अत्यधिक सहयोग मिल सकता है।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की भूमिका एवं अपेक्षाएँ :–

- ✓ **स्वास्थ्य विभाग** :– तम्बाकू के उपयोग से शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित न होता हो। जिसमें मुख्यतः कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी अधिक होती है। नोडल विभाग होने के नाते स्वास्थ्य विभाग कि जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। अतः आशा की जाती है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुए तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं कोटपा–2003 के प्रभावी अनुपालन तथा संस्थानीकरण को तीव्र गति प्रदान की जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अपने अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों यथा NCD Programme, RNTCP, RBSK, RKSK इत्यादि में तम्बाकू नियंत्रण को प्रभावी तरीके से सम्मिलित किया जाए।
- ✓ **शिक्षा विभाग** :– विद्यालयों में तम्बाकू/तम्बाकू से निर्मित पदार्थों, गुटखा आदि से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विसंगतियों और गंभीर बीमारी के बारे में बच्चों एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता फैलायी जाय क्योंकि बच्चे हीं देश के भविष्य हैं। साथ ही पाठ्य पुस्तकों में तम्बाकू नियंत्रण संबंधी आवश्यक जानकारी मुद्रित करायी जायें। शिक्षण संस्थानों के निश्चित दायरे (100 गज) के अंदर किसी भी तम्बाकू पदार्थ यथा गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं इससे संबंधित बोर्ड भी प्रदर्शित किये जायें तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाहियों की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना संकलित कर अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित किया जाय।
- ✓ **गृह विभाग** :–राज्य में कोटपा (2003) को सफलतापूर्वक लागू करने में गृह विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि पुलिस के सहयोग के बिना चालान/दण्ड व्यवस्था को स्थापित करना काफी कठिन है। पुलिस के सहयोग से कोटपा के अनुपालन को बल मिलेगा तथा छापेमारी एवं दण्ड व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। साथ ही राज्य के सभी थानों पर **"धुम्रपान निषेध क्षेत्र–यहाँ धुम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है"** का साईन बोर्ड लगाते हुए इसका शब्दशः पालन करवाया जाये एवं उपरोक्त की कोटपा–2003 में निहित सेक्शन वार मासिक समीक्षा करते हुए तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाहियों की सूचना का संकलन कर अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित किया जाय।

- ✓ <u>सूचना एवं जन संपर्क विभाग</u> :– इस विभाग द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में तम्बाकू के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर निगरानी रखी जा ताकि किसी भी तम्बाकू पदार्थ का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सके। साथ ही टेलीविजन/सेंसर बोर्ड के माध्यम से होने वाले तम्बाकू के लुभावनीकरण (ग्लेमोराईजेसन) को रोके। सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा तम्बाकू नियंत्रण के मुद्दे पर सघन अभियान चलाया जाए।
- ✓ <u>वित्त/वाणिज्य कर विभाग</u> :– वित्त विभाग की तम्बाकू नियंत्रण में महत्त्वपुर्ण भूमिका है। वित्त विभाग द्वारा कर में बढ़ोत्तरी से अधिक–से–अधिक राजस्व की उगाही होगी तथा तम्बाकू का उपयोग भी कम होगा।
- ✓ <u>कृषि विभाग</u> :– कृषि विभाग से अपेक्षा है कि वे किसानों को प्रेरित करें कि तम्बाकू की खेती कम–से–कम की जाय तथा वैकल्पिक फसल के उत्पादन को बढ़ाया जाए। इस हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जायें तथा इसके लिए आवश्यक सब्सिडी प्रदान की जाए।
- ✓ <u>श्रम संसाधन विभाग</u> :– लोगों को तम्बाकू से होने वाली हानि एवं विनाशकारी परिणामों के संबंध में जानकारी प्रदान की जाये एवं तम्बाकू उत्पादन, निर्माण मुख्यतः बीड़ी उत्पादन में लगे कर्मियों के लिये आवश्यक कदम उठाए जायें ताकि उन लोगों को सही रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए।
- ✓ <u>ग्रामीण विकास विभाग</u> :– ग्रामीण विकास विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठा सकती है। अपने विभाग से जुड़े स्वयंसेवी संस्थानों को भी तम्बाकू नियंत्रण में कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं। साथ ही ये विभाग तम्बाकू उत्पादन करने वालों को वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध करा सकती है उदाहरणस्वरूप–मनरेगा। साथ–साथ ग्रामीणों में जागरूकता फैलाया जाए, लोगों को कोटपा के नियमों से अवगत कराया जाय एवं इस हेतु प्रचार–प्रसार भी किया जाए।
- ✓ <u>खेल एवं युवा विभाग</u> :– खिलाड़ियों को सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा के सेवन से होने वाली खतरनाक बीमारी से अवगत कराया जाए तथा खिलाड़ियों को खेल के दौरान यदा–कदा इस हेतु विरोध प्रदर्शित करने के लिए काली पट्टी का इस्तेमाल करवाया जाए। किसी भी तम्बाकू निर्माता कम्पनी से महोत्सव/खेल आयोजन हेतु किसी भी प्रकार की सहायता न ली जाए।
- ✓ <u>परिवहन विभाग</u> :– परिवहन विभाग द्वारा बसों पर धुम्रपान न करने हेतु पोस्टर/नोटिस अंकित किया जाए तथा साथ ही बस के अंदर बैठे लोग धुम्रपान/गुटखा सेवन न करें उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। बस अड्डों एवं चेकपोस्टों पर धुम्रपान रोकने हेतु **"धुम्रपान निषेध क्षेत्र–यहाँ धुम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है"** का बोर्ड प्रदर्शित किए जायें, साथ ही विभाग के परिक्षेत्रों की निषेधात्मक कृत कार्यवाही की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी संकलित सूचना अपने उच्चाधिकारी को भेजे।
- ✓ <u>पर्यटन विभाग</u> :– पर्यटन विभाग द्वारा सभी पर्यटक स्थलों, होटलों/मोटलों/रेस्टोरेंटों आदि में **"धुम्रपान निषेध क्षेत्र–यहाँ धुम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है"** का साईन बोर्ड प्रदर्शित कराया

जाए। राज्य के प्रमुख एवं प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को **"तम्बाकू मुक्त"** घोषित किया जाय, तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाही की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाय।

✓ **समाज कल्याण विभाग** :– तम्बाकू का उपयोग एक समाजिक समस्या भी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत **आई०सी०डी०एस० केन्द्रों** पर भी तम्बाकू के गंभीर खतरे के बारे में प्रचार–प्रसार किया जाय। अपने विभाग से जुड़े स्वयंसेवी संस्थानों को भी तम्बाकू नियंत्रण में कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं।

✓ **पंचायती राज विभाग** :– पंचायती राज विभाग से आशा है कि तम्बाकू नियंत्रण का प्रचार–प्रसार कर गाँव–गाँव तक पहुँचाने में सहयोग करेंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा गाँव अथवा पंचायत को **"तम्बाकू मुक्त"** घोषित किया जाए ताकि इसका संदेश दूर–दूर तक फैले।

✓ **पर्यावरण एवं वन विभाग** :– पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा तम्बाकू उत्पादन, निर्माण एवं उपयोग से होने वाले पर्यावरण खतरे के बारे में आमजन को प्रचार–प्रसार के माध्यम से जगरूक किया जा सकता है। साथ ही तम्बाकू उद्योग से होने वाले पर्यावरण खतरे को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।

बैठक में लिये गये मुख्य निर्णयः–

➢ सभी सरकारी विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को मिल कर "धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त उ0प्र0 की दिशा में कदम बढाना चाहिए।

(कार्यवाही–समस्त विभाग, उ0प्र0)

➢ जिन जिलों में जिला तम्बाकू समन्वय समिति का गठन नही किया गया है, उसे शीघ्रता से किया जाय।

(कार्यवाहीः–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)

➢ सभी विभागों द्वारा तम्बाकू नियंत्रण पर प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए ताकि जनमानस को जागरूक किया जा सके, जिस हेतु यह निर्णय हुआ कि उत्तर प्रदेश के सरकारी निगमों/स्वायत्त शासित संस्थाओं/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं यथा–उ0प्र0 कोऑपरेटिव फेडरेशन/उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम आदि के माध्यम से एन0सी0डी0 कार्यक्रमों के अर्न्तगत सम्बन्धित प्रचार–प्रसार एवं अन्य सामग्री का क्रय नियमानुसार कराया जाय। जिससे समस्त कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके तथा जनमानस लाभान्वित हो सके।

(कार्यवाहीः–महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें)

➢ राज्य के सभी सरकारी कार्यालय/संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानों को "तम्बाकू मुक्त" घोषित करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाहीः–समस्त जिला अधिकारी/समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)

- तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न धाराओं (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) का कड़ाई से अनुपालन एवं अनुश्रवण कराया जाये।

(कार्यवाहीः–पुलिस विभाग, उ0प्र0)

- जनपद–लखनऊ को तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से कार्ययोजना बनायी जाय तथा कार्ययोजना के अनुसार तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना।

(कार्यवाहीः– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ)

- मासिक समीक्षा बैठक में राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव/निदेशक तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 द्वारा सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन में अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाय एवं निषेधात्मक कृत कार्यवाही की सघन मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना का संकलन कर अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाहीः–समस्त सम्बन्धित विभाग)

- "येलो लाइन" कैम्पेन को समस्त राजकीय/सरकारी प्रतिष्ठानों में चलाया जाय।

(कार्यवाहीः–महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0 एवं समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)

- जनपदों में सभी राजकीय/सरकारी प्रतिष्ठानों में कैम्पेन के माध्यम से तम्बाकू मुक्त प्रतिष्ठान की दिशा में सघन प्रयत्न करते हुए सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 को लागू किया जाय।

(समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0 एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)

- प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति का गठन किया जाय।

(कार्यवाहीः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0)

- कुम्भ मेला–2019 को तम्बाकू मुक्त घोषित करने के लिए प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण, होर्डिंग, बैनर के माध्यम से जागरूक करें।

(कार्यवाहीः–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद)

- प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ई–सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने का निर्णय हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर कार्यवाही किया जाना।

(कार्यवाहीः– चिकित्सा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन)

- सभी होटलों एवं पर्यटन स्थलों एवं अन्य विभागों में डी0एस0ए0 (नामित धूम्रपान क्षेत्र) का अनुपालन सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 अधिनियम की धारा–4 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना

सुनिश्चित कराना, तथा ...ात्मक कृत कार्यवाहियों की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना का संकलन कर सूचना अ... उच्चाधिकारी को प्रेषित की ...ाय।

(कार्यवाहीः–स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग)

➢ प्रदेश में खुली सिगरेट पर लगे प्रतिबन्ध का प्रभावी अनुपालन किया जाय, तथा तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाहियों की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना का संकलन कर सूचना अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाहीः–पुलिस विभाग/स्वास्थ्य विभाग/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ)

➢ प्रदेश के प्रत्येक विद्यालयों में एक नोडल शिक्षक नामित किया जाय जो कि तम्बाकू नियंत्रण के कार्य को संचालित करेगा एवं विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करेगा।

(कार्यवाहीः–शिक्षा विभाग)

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

वी0हेकाली झिमोमी
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–7
संख्या–880/पॉच–7–2018
लखनऊः दिनांकः 16 जुलाई, 2018

संख्या–880 (1)/पांच–7–2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3– डा0 सबिता भट्ट, निदेशक, स्वास्थ्य, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विभागों को कार्यवृत्त की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4– डा0 आलोक कुमार, स्टेट नोडल आफीसर, टोबेको कन्ट्रोल।
5– श्रीमती सीमा गुप्ता, निदेशक, वालेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन आफ इण्डिया।
6– डा0 राना जे0 सिंह, द यूनियन न्यू दिल्ली एण्ड/यू0पी0वी0एच0ए0 यू0पी0, लखनऊ।
7– श्री रंजीत कुमार सिंह, लीगत एक्स्पर्ट, टोबेको कन्ट्रोल।
8– श्री सतीश त्रिपाठी, स्टेट कन्सलटेन्ट, एस0टी0सी0सी0।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरनाम)
उप सचिव।

4895
18/7
निदेशक स्वास्थ्य

Dr. Alok kumar
SBAU-
20/7/18

स्टाफ आफिसर
महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उ0 प्र0, लखनऊ

फोन 0522-2725586
ई-मेल upvhalko@gmail.com
upvha_lko@yahoo.com
वेबसाईट www.upvha.org

उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन

5/459, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

सन्दर्भ संख्या..... यूपीवीएचए/टी.सी.पी./112/2018

दिनांक..... 18 जुलाई 2018

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक विद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : अपने अधिनस्त स्कूलों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने हेतु "Yellow Line Compaign" चलाने जाने के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ की हार्दिक शुभकामनायें।

आपको सानुरोध अवगत् कराना है कि उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ स्वैच्छिक संस्थाओं का एक साझा मंच है जो वर्षों से उत्तर प्रदेश के सुदूर व दुर्गम स्थानों तक स्वयं व अपनी सदस्य संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य व विकास सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने हेतु कार्य कर रहा है। संस्था द्वारा विगत् 8 वर्षों से दी यूनियन और राजकीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के साथ मिलकर राज्य में तम्बाकू नियंत्रण के लिए कोटपा–2003 के पूर्ण परिपालन हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी कम में इस पत्र के साथ 'राज्य कार्यकम अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम' द्वारा जारी पत्र दिनांकित 23.5.2018 संलग्नक कर आपके अवलोकनाथ प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि **प्रदेश के सभी स्कूलों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने हेतु "Yellow Line Compaign" चलाने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।** यू0पी0वी0एच0ए0 द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र दिनांकित 28 जून 2018 के कम में आपके स्तर से सभी जिलों को निर्देश जारी किये गये थे। पत्र की प्रति संलग्न कर जिसके अनुपालन में जनपद स्तर पर यू0पी0वी0एच0ए0 एवं जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

कोटपा–2003 (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003) की धारा–4, 6अ व 6ब का विवरण निम्नवत् है :

धारा–4 : धारा 4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे– शिक्षण संस्थान, शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शामिंग मॉल, काफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमाहाल, सभागृह, एअरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टाप, लोक परिवहन, टी स्टाल, मिष्ठान भण्डार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबन्धित है, और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर रू0 200/– तक जुर्माने का प्राविधान है।

धारा–6अ : इस धारा के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की/के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबन्धित है, इस धारा का उल्लंघन करने वालों पर भी रू0 200/– तक जुर्माने का प्राविधान है। इस नियम के तहत नाबालिकों द्वारा तंम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाय।

धारा–6ब : उक्त धारा अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय करना प्रतिबन्धित है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक विद्यालय परिसर की बाहरी दीवार/चहारदीवारी/सीमा पर बाहर की ओर सहज दृश्य स्थान पर एक चेतावनी बोर्ड (वाल पेंटिंग) किया जाना अनिवार्य है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि **अपनी विभागीय समीक्षा बैठक में हमे कुछ समय देने की कृपा करें, जिससे बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को तम्बाकू मुक्त मुद्दे पर संवेदित किया जा सके।** हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके इस सहयोग से लोगों को तम्बाकू के सेवन से होने वाली विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बचाने में अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी।

सादर अनुरोध सहित।

भवदीय,

(विवेक अवस्थी)
अधिशासी निदेशक
मो. 9415182514

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त चयनित स्वयं–सेवी–संस्था,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–रा.तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/ दिनांक–23/05/2018

विषय– स्कूल जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित स्वयं–सेवी–संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने हेतु "Yellow Line Compaign" चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय जनपद स्तर पर चयनित 43 स्वयं–सेवी–संस्था शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षको, छात्र–छात्राओं व आस–पास के समुदाय को तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्राति जागरूक करने व तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है।

उक्त के क्रत आपको निर्देशितु किया जाता है कि वर्ष 2017–18 हेतु जनपद स्तर पर स्कूल जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित उच्चतर, स्तर के विद्यालयों में "Yellow Line Compaign" चलाकर यह सुनिश्चित कराये कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री व इस्तेमाल न हो।

इन गतिविधियों में विद्यालय तम्बाकू नियंत्रण समिति, अध्यापकगण, विद्यार्थियों, मीडिया एवं जन समुदाय की सहभागिता से सम्पन्न करावें ताकि अधिक से अधिक लोगों में तम्बाकू एवं तम्बाकू से होने वाले बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा सके।

कैम्पेन से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी आपको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, इस हेतु उ0प्र0 वॉलण्ट्री हेल्थ एसोसिएशन से भी (ई–मेल–upvhalko@gmail.com) सम्पर्क कर तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीया

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

पत्रांक–रा.तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1419-20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिला नोडल अधिकारी को हम इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर पर "Yellow Line Compaign" कैम्पेन का अनुश्रवण कर कैम्पेन से जुडे फोटो व राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को भेजने का कष्ट करें।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

"Yellow Line Compaign"

कैम्पेन का उद्येश्य–:

कैम्पैन का उद्येश्य शिक्षको : व छात्र छात्राओं व समुदाय को तम्बाकू होने वाले दुष्प्रभवों पर जागरूक कराना व मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कराना है, सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की धारा–6ब के अनुसार शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। उक्त प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षको व छात्रों के सहयोग से शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में का चिंहान्कन कर तम्बाकू का प्रयोग को रोकना है।

आवाश्यक सामग्री

1. पीला पेन्ट आवाश्यकतानुसार
2. पेन्ट करने हेतु ब्रश 3–4
3. कैमरा

गतिविधियॉ

1. प्रार्थना सभा में अधिक से अधिक शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को विचार साझा करने हेतु प्रोत्साहित करें।
2. प्रार्थना सभा मे सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्येश्य के बारे में जानकारी देते हुये तम्बाकू से होने वाले नुकासान के बारे में बतायें।
3. सभी प्रतिभागियों को सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की धारा–6ब के बारे में बताते हुये "Yellow Line Compaign" के उदेश्य के बारे में अवगत कराये व बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेने हेतु प्रेषित करें।
4. पीली सीमा रेखा खींचकर तम्बाकू क्षेत्र का चिंन्हाकन करने हेतु स्थानों व पेन्ट करने वाले स्वयं–सेवी–संस्था, छात्र–छात्राओं का चयन कर लें व उनको उनकी भूमिका समझा दें।
5. गतिविधि के सम्पादन करने के दौरान छाया चित्र लें। (चित्र देखे)।

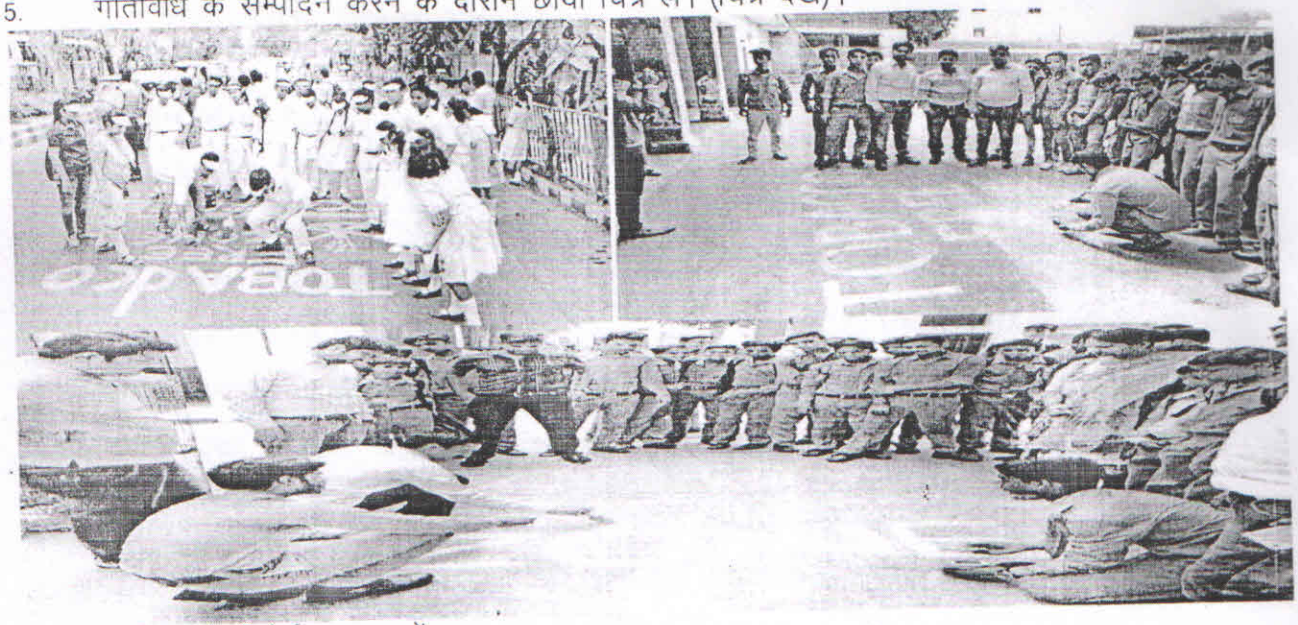

6. मीडिया से रिपोर्ट साझा करें।
7. शैक्षणिक संस्थानो के चारो ओर 100 गज के दायरे में यदि कही तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है तो स्कूल प्रबंधक उसे हटाने हेतु नोटिस जारी कराये।

अपेक्षित परिणाम

- सभी प्रतिभागी तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक होगें।
- स्कूल तम्बाकू नियंत्रण कमेटी के सदस्य अपनी भूमिका के बारे में जागरूक हो।
- स्कूल के छात्र–छात्राओं में तम्बाकू नियंत्रण हेतु भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
- शैक्षणिक संस्थान तम्बाकू मुक्त हो जिससे भावी पीढ़ी को तम्बाकू से होने दुष्प्रभावों से मुक्ति मिले।
- मीडिया के माध्यम से बृहद जन–जागरूकता होगी या अन्य संस्थाएं इस प्रकार के कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहित होगी जिससे तम्बाकू के खिलाफ जन–वातावरण तैयार होने में मदत मिलेगी।